<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-01/09/84-डे0ई0-14-नि0-20/2002</u>

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 03 जनवरी, 2013

विषय:- श्री उमेश चन्द्र जायसवाल, सेवाच्युत विक्रेता, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के विरूद्व पारति दण्डादेश दिनांक 14-02-2008 पर की गयी अपील दिनांक 14-03-2008 के निस्तारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-112/1055/84-डे0ई0-2013-नि0-20/02, दिनांक 27-12-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि निगम के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 27-06-2012 द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन जोकि अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम भी थे, को अपीलीय प्राधिकारी भी नामित किया गया है। इसी मध्य मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुपालन में श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में अध्यक्ष नामित/नियुक्त किया गया है। अत: श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अपीलीय प्राधिकारी नामित किये जाने के संबंध में आपकी संस्तुति सहित स्पष्ट आख्या तीन दिवस के भीतर माँगी गयी थी, परन्तु आपकी संस्तुति सहित स्पष्ट आख्या शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अत: अनुरोध है कि कृपया श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अपीलीय प्राधिकारी नामित किये जाने के संबंध में अपनी संस्तुति सहित स्पष्ट आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/